

क्रमांक:-सहायता/बाढ/2020/3094

दिनांक: 09/11/2020

प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक 14.8.2020 को तहसील जमवारामगढ, एवं विराटनगर क्षेत्र में हुई अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप हुये जलप्लावन के कारण प्रभावित ग्रामों में कच्चे, पक्के आवासों की क्षति, कपडे-बिस्तर, भोजन व्यवस्था की क्षति कारित हुई, जिससे प्रभावितों के प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ के पत्रांक भू.अ./2020/4114 दिनांक 8.10.20, तहसीलदार, विराटनगर के पत्रांक भू.अ./2020/4349 दि. 22.9.2020 के द्वारा प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में एवं वांछित प्रमाण पत्र सहित प्राप्त हुये है। जिनका परीक्षण किया गया तथा "राज्य आपदा मोचन निधि" के निर्धारित मानदण्डों के तहत नियमानुसार देय सहायता राशि की गणना किए जाने उपरान्त सहायता स्वीकृति योग्य पाए गए नीचे अंकित प्रकरणों में उनके नाम के सामने अंकित राशि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम. 1 दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.स	प्रभावित का नाम मय वल्लिदयत	तहसील	पता	क्षति का दिनांक	क्षति का प्रकार	देय राशि		
						केन्द्रीय मद 75 %	राज्य मद 25 %	योग
1	श्रीमती कौशलया देवी पत्नी जगदीश बलाई	ज.रामगढ	ग्राम पापड	14.8.20	गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर	2400	800	3200
2	श्री बलवीर मेहतर पुत्र गोकुल	विराटनगर	बागावास अहीरान	14.8.20		2400	800	3200
योग						4800	1600	6400

(अक्षरे रूपये छः हजार चार सौ मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा:-

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

02-बाढ चक्रवात आदि

113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण के लिये सहायता

(09)-बाढ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुननिर्माण के लिए सहायता

[05] - गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर

12-सहायतार्थ अनुदान [p]

- 1- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- 2- उपरोक्त अंकित प्रभावितों के आवास की क्षति का आंकलन सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने के आधार पर सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

क्रमांक:-सम/3095-3103

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
- 2- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राज. जयपुर।
- 3- कोषाधिकारी जयपुर शहर/ग्रामीण
- 4- उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ/विराटनगर
- 5- तहसीलदार जमवारामगढ/विराटनगर
- 6- गार्ड पत्रावली।

दिनांक: 09/11/2020

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर